

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 8/कृ0नि0यो0वि-58/2014
प्रेषक,

802

/कृ0, पटना, दिनांक 10-02-2015

प्रभु राम,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+).

विषय :

वर्ष 2014-15 में कृषि रोड मैप के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत 10000 लाख राज्य योजना मद से व्यय, अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए अनुदान दर एवं अधिकतम सीमा में वृद्धि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए भूधारिता की सीमा में कमी करने एवं सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए तीन कृषि यंत्रों यथा पावर टीलर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एवं कम्बाइन हार्वेस्टर के अनुदान दर में वृद्धि की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जन जाति के लिए 92.80 (बेरानवे लाख अस्सी हजार रुपये) लाख रुपये की अतिरिक्त निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तावित की गई है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के फलस्वरूप किसान उचित समय पर शस्य क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। वर्ष 2014-15 में कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना अन्तर्गत 18400 लाख की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 01.07.2014 को प्रदान की गई है। वर्तमान में योजना उद्वय 18400 लाख से बढ़कर 28400 लाख हो गया है। राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जन जाति के लिए 92.80 (बेरानवे लाख अस्सी हजार रुपये) लाख रुपये की अतिरिक्त निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भारत सरकार के Submission on Agriculture Mechanization (SMAM) योजना के Cost Norms and Pattern of Assistance में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सामान्य वर्ग से अधिक अनुदान का प्रावधान एवं कृषि यांत्रिकरण योजना के मूल्यांकन करने वाले संस्थान ए0एन0 सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज एवं चन्द्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अनुशंसा एवं दिनांक 11.11.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक में कृषि यांत्रिकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में जिन कृषि यंत्रों के लिए ऑन लाइन आवेदन काफी कम पाये गये उन पर सम्बंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी से पृच्छा की गई। पृच्छा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि पावर टिलर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एवं कम्बाइन हार्वेस्टर पर अनुदान दर में कमी किये जाने के कारण कृषकों का उक्त यंत्रों के प्रति रुझान काफी कम हो गया है। जिस कारण अनुदान दर में वृद्धि करने की आवश्यकता महशूस की गई। कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित Unit Cost Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के किसान के लिए सभी यंत्रों पर संशोधित अनुदान दर एवं सामान्य श्रेणी के किसान के लिए तीन कृषि यंत्र यथा पावर टीलर, जीरो टिलेज एवं कम्बाइन हार्वेस्टर पर संशोधित अनुदान दर एवं अधिकतम सीमा में अनुसूची-1 के कॉलम-5 एवं 6 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि अनुदान की दरों में वृद्धि इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कर्णाकित राशि 4533.6 लाख रुपये की वित्तीय सीमा में लाभुकों को देय होगी। सभी मदों में (ट्रैक्टर को छोड़कर) अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान की दर सीमा निर्धारित की गई है। अनुदान दर के संबंध में विवरण अनुसूची-1 संलग्न है। वर्ष 2014-15 के लिए यंत्रवार पूर्व स्वीकृत विवरण अनुसूची-2 पर संलग्न है।

2. कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से NIC के सहयोग से मेकेनाइजेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत राज्य के किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा इसकी प्राप्ति रसीद भी किसान ऑन लाइन प्राप्त करेंगे। विभिन्न स्तरों पर जाँचोपरान्त उन्हें स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें SMS के माध्यम से दी जायेगी। जिला स्तर पर आयोजित यांत्रिकरण मेला में प्राप्त स्वीकृति पत्र के आलोक में किसानों द्वारा अनुदानित दर पर कृषि यंत्र का क्रय किया जायेगा।

3. वर्ष 2014-15 में अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण किसान मेला लगाकर किया जायेगा। मेला में अधिक से अधिक यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं को आमंत्रित किया जायेगा।

स्वीकृति पत्र के आधार पर किसान अपनी पसंद के कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता से मेला में ही क्रय करेंगे। कृषि समन्वयक द्वारा 7 दिनों के अन्दर वितरित यंत्रों का स्थलीय भौतिक सत्यापन किया जायेगा। वहाँ एक संयुक्त फोटो लिया जायेगा जिसमें लाभुक कृषक, कृषि यंत्र एवं कृषि समन्वयक शामिल होंगे। फोटो को समन्वयक द्वारा अपने Login ID से System में अपलोड किया जायेगा, जिसका एक SMS सम्बंधित विक्रेता को जायेगा।

मेला में कृषि यंत्र वितरण के बाद निश्चित रूप से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि 15 दिनों के अन्दर किसान/विक्रेता के बैंक खाते में NEFT/ RTGS द्वारा भेज दी जायेगी। किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी तथा किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। मेला में कृषि यंत्र की गुणवत्ता तथा मूल्य पर ध्यान दिया जायेगा ताकि किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

4(I) कृषि यांत्रिकरण योजना में वर्ष 2014-15 में 10000 लाख रु० की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी पूर्व प्रावधान के अनुसार की जायेगी। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

(II) योजना अन्तर्गत प्रस्तावित स्वीकृत राशि के अधीन जिलावार/यंत्रवार लक्ष्य निर्धारण हेतु प्रशासी विभाग स्वतंत्र होगा। यंत्रवार तथा जिलावार लक्ष्य का निर्धारण कृषि निदेशक द्वारा विभागीय अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा। जिलों को लक्ष्य निर्धारण के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित किया जायेगा।

(III) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के किसान के लिए प्रस्तावित इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत सभी कृषि यंत्रों एवं सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिए तीन कृषि यंत्रों यथा पावर टीलर, जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील एवं कम्बाइन हार्वेस्टर पर अनुदान दर में अनुसूची-1 के अनुसार वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

(IV) अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के पास प्रायः भू-धारिता कम होती है, जिसकी वजह से योजना का शत प्रतिशत लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उक्त समुदाय के कृषक हित में ट्रैक्टर के लिए न्यूनतम भू-धारिता 1 एकड़ एवं पावर टीलर के लिए 0.5 एकड़ करने की स्वीकृति दी जाती है।

(V) वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्दव्य में वृद्धि होने की स्थिति में राशि व्यय करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशा निर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

5. निकासी के लिए स्वीकृति 92.80 (बेरानवे लाख अस्सी हजार रुपये) लाख रुपये का व्यय मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म- उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 -उपशीर्ष-0143-प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मकानाइजेशन, विपत्र कोड-P2401007960143, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5025, विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा वर्ष 2014-15 के बजट में उपबंधित राशि 357.60(तीन करोड़ सनतावन लाख साठ हजार) लाख रुपये से विकलनीय होगा।

6. बिहार कृषि प्रबंधन -सह-प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेती द्वारा इस योजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकक्षण का अधिकार होगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक होंगे।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन किया जायेगा।

8. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 17.12.2014 को प्राप्त है। तत्सम्बन्धी स्वीकृति संचिका संख्या -8/कृ0नि0यो0वि0-58/14 के पृष्ठ संख्या 35/टि0 पर प्राप्त है। तदनुसार संशोधित प्रावधान स्वीकृत्यादेश जारी होने की तिथि से ही लागू होंगे। इस वर्ष अब तक वितरित यंत्रों पर अनुदान पूर्व स्वीकृत दरों पर ही देय होगा।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या- 7355 वि0(2) दिनांक 05.01.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या 8/कृ0नि0यो0वि0-58/14 के पृष्ठ संख्या/टि0पर दिनांक..... को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 802

/कृ0,

पटना, दिनांक 10-2-2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 802

/कृ0,

पटना, दिनांक 10-2-2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 802

/कृ0,

पटना, दिनांक 10-2-2015

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 802

/कृ0,

पटना, दिनांक 10-2-2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

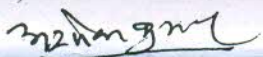
240

Annexure- 1
Comparative Subsidy rates Under Farm Mechanization

Sr. no.	Name of Implements	Rate Quoted by the Manufacturers (Rs.) (2013-14/2014-15)	Approved Rate of Subsidy (2014-15)	Revised Rate of Subsidy proposed for (2014-15) (Percentage/Rate which ever is lower is applicable)		Remark
				General Farmer	SC&ST Cat. Farmer	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tractor (15 to 40 HP)	2,34,000-5,79,941	25% maximum 45,000		35% maximum 67,500	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
2	Power Tiller (8.71 HP - 15 HP)	1,30,000-1,85,000	50% maximum 45,000	50% maximum 50,000	50% maximum 75,000	
3	Laser Land Leveler/	3,45,000-4,55,000	50% maximum 1,00,000		50% maximum 1,50,000	
4	Rotavator	76,000-1,66,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
5	Reversible M.B. Plough	90,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
6	Rotary tiller	81,600-1,37,600	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
7	Harrow	38,000-49,000	50% maximum 10,000		50% maximum 14,000	Subsidy Rationalised
8	Cultivator	22,000-28,000				
9	Roto-Cultivator	53,500-55,000	50% maximum 20,000		50% maximum 27,000	Subsidy Rationalised
10	Manual Equipments ISI marked	150-200	50% maximum 200		50% maximum 200	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
11	Animal Driven Implements disc harrow/ MB Plough/cultivator	7250	50% maximum 1000		50% maximum 1500	
12	Sub Soiler	18,000-20,500	50% maximum 7500		50% maximum 10000	
13	Puddler	(25,000-30,000)	50% maximum 10,000		50% maximum 15,000	
14	Paddy Transplanter	1,70,000-2,25,000	50% maximum 1,00,000		50% maximum 1,10,000	Subsidy Rationalised
15	Zero tillage / Seed cum Fertilizer drill/Multi crop Planter	49,500-63,000	50% maximum 20,000	50% maximum 30,000	50% maximum 40,000	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
16	Happy Seeder (9-10tyne)	1,45,000-1,55,000	50% maximum 40,000		50% maximum 60,000	
17	Potato Planter	39,500-1,04,500	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
18	Raised Bed Planter	35,000-85,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
19	Sugarcane cutter cum planter	(1,30,000-1,70,000) (self propelled)	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	Subsidy Rationalised
20	Paddy Drum Seeder	7500	50% maximum 3000		50% maximum 3750	
21	Seed cum fertilizer Dibbler	1700-2000	50% maximum 500		50% maximum 750	
22	Marker	1000-1600	50% maximum 400		50% maximum 600	
23	Seed Treatment Drum	2500-3500	50% maximum 1000		50% maximum 1500	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
24	Ridger/Trencher	16,800-26,000	50% maximum 7500		50% maximum 11,000	
25	Pump Set (Diesel /Electric) Up to 10 HP	7,766-46,800	50% maximum 10,000		50% maximum 15,000	
26	Irrigation Pipes HDPE (600 mtr.)	32800-1,22,400	50% maximum 15,000		50% maximum 22,500	
27	Irrigation Pipes LDPE Folding Pipe (500 mtr.)	11250	50% maximum 5,000		50% maximum 5600	Subsidy Rationalised
28	Conoweeder	1500-3000	50% maximum 800		50% maximum 800	Not included in state plan
29	Weeder single tyne with adjustable height	10,50-1600	50% maximum 800		50% maximum 800	Subsidy Rationalised
30	Power Weeder	38,200-1,18,000	50% maximum 15,000		50% maximum 20,000	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
31	Sprayer/Duster/Plant prot equip (Manual)	1300-5500	50% maximum 500		50% maximum 750	
32	Sprayer/Duster/Plantprotequip	3950-10,800	50% maximum 2000		50% maximum 3000	
33	Combine Harvester/Maize combine Harvester	7,25,000-22,95,000	50% maximum 3,00,000	50% maximum 4,00,000	50% maximum 5,00,000	
34	Straw baler without rack	3,50,000-9,75,000	50% maximum 1,50,000		50% maximum 2,25,000	
35	Straw reaper/straw combine	2,30,000-3,15,000	50% maximum 1,00,000		50% maximum 1,50,000	
36	Reaper cum Binder	3,57,914	50% maximum 1,75,000		50% maximum 1,78,500	Subsidy Rationalised

239)

Sr. no.	Name of Implements	Rate Quoted by the Manufacturers (Rs.) (2013-14/2014-15)	Approved Rate of Subsidy (2014-15)	Revised Rate of Subsidy proposed for (2014-15) (Percentage/Rate which ever is lower is applicable)		Remark
				General Farmer	SC&ST Cat. Farmer	
1	2	3	4	5	6	7
37	Self Propelled Reaper	97,500-1,74,500	50% maximum 40,000		50% maximum 60,000	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
38	Tractor Mounted reaper	77700-80,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
39	Potato Digger	1,17,750	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
40	Power operated wheat/maize thresher	25,200-1,75,600	50% maximum 15,000		50% maximum 20,000	
41	Power Maize Sheller	15,500-1,14,300	50% maximum 10,000		50% maximum 15,000	
42	Paddy Thresher (Power opt. 6' drum size)	58,000-1,75,000	50% maximum 30,000		50% maximum 45,000	
43	Chaff Cutter(Manual)	6000-13,500	50% maximum 3000		50% maximum 4500	
44	Paddy Thresher (Manual)	6750-12000	50% maximum 3000		50% maximum 4000	Subsidy Rationalised
45	Winnowing/ Paddy Cleaner(manual)	3200-6000	50% maximum 2000		50% maximum 3000	Subsidy increased for SC&ST upto 50% of Maximum limit of General Category as per recommendation of Unit Cost Committee dated 22.09.2014 & dated 13.11.2014
46	Mini Rubber Rice Mill	99,750-2,48,000	50% maximum 45,000		50% maximum 67,500	
47	Mini Dal Mill/Oil Mill	53,000-1,50,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
48	Dryer	(75,000-80,000)	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
49	Hydraulic trailer	90,000-1,50,000	50% maximum 20,000		50% maximum 30,000	
50	Chain saw for pruning	42,880-48,900	50% maximum 10,000		50% maximum 15000	
51	Mobile Seed Processing Unit	30,00,000-48,00,000	50% maximum 5,00,000		50% maximum 7,50,000	
52	Makhana Popping Machine	3,65,000	50% maximum 1,00,000		50% maximum 1,50,000	


Ashok Kumar
Stat. Assistant, Directorate of
Agriculture


Joint Director Agri.(Engg.)-Cum-State Nodal Officer,
Mechanization


Director Agriculture, Bihar Patna

5/10

State level Implement wise Target & Achievement of RKVY+State Plan Under Farm Mechanization Ph.No., Amount In Lakh

Sl. No.	Name of Implement	Year 2012-13				Year 2013-14				Proposed Target 2014-15
		Target	Achi	Phy.	Fin.	Target	Achi	Phy.	Fin.	
1	Tractor (15 to 40 HP)	9532	5731.20	8207	4908.57	3500	1575.00	5035	2265.51	2995
2	Power Tiller (8.71 HP - 15 HP)	8000	4800.00	6445	3867.00	5650	2542.50	4278	1987.65	6700
3	Combine Harvester/Maize combine Harvester	246	1230.00	343	1715.00	350	1050.00	258	774.30	350
4	Straw baler without rack	5	36.00	0	0.00	5	7.50	0	0.00	1
5	Straw reaper/straw combine	200	360.00	328	592.30	350	350.00	249	249.00	328
6	Paddy Transplanter	100	150.00	25	35.56	65	97.50	66	84.831	64
7	Reaper cum Binder	500	1100.00	701	1532.90	700	1225.00	594	1036.50	701
8	Self Propelled Reaper	0	0.00	0	0.00	200	80.00	116	47.60	136
9	Laser Land Leveler	100	250.00	48	117.50	50	50.00	11	11.00	48
10	Specialised power driven equipment (Rotavator/Reversible M.B. Plough, Rotary tiller, Tractor Mounted reaper etc.)	10830	4552.60	8149	3208.30	7500	1500.00	4900	976.90	8149
11	Zero tillage / Seed cum Fertilizer drill/Multi crop Planter	6877	2750.80	8703	3481.65	5500	1300.00	1148	229.60	5000
12	Happy Seeder (9-10t/nc)	500	400.00	56	43.20	60	24.00	0	0.00	5
13	Potato Planter	500	250.00	153	80.24	200	40.00	71	14.20	100
14	Potato Digger					100	20.00	17	3.40	100
15	Raised Bed Planter	500	300.00	26	14.60	40	8.00	2	0.40	100
16	Sugarcane cutter cum planter	100	80.00	19	15.20	455	91.00	7	1.40	8
17	Power operated wheat/maize thresher	5000	1200.00	4984	1142.45	5000	750.00	3545	530.83	4145
18	Power Maize Sheller					500	50.00	173	17.23	500
19	Paddy Thresher (Power optr 6' drum size)					500	150.00	363	102.73	417
20	Power Operator equipment Harrow, Cultivator etc	5000	500.00	5700	674.77	5500	550.00	4960	494.16	5758
						500	100.00	86	17.20	153
										575.800
										26.600

[illegible]
$$\frac{8}{12}$$

1846

Sl. No.	Name of Implements	Year 2012-13				Year 2013-14				Proposed Target 2014-15	
		Target		Achi		Target		Achi			
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Contingency to JDA (Engg.)for work shop & Demo lab.										
31	Farm Machinery Training Programme										
32	Purchase of Farm implements for Demo /Training										5.000
33	Farm machine demo lab.										61.352
34	Furniture/ Apparatus for Training Hall										47.478
35	Mela(District level)										37.957
36	Mela(State level)	456	228.00	338	171.47	152	76.00	110	55.00	228	114.000
	Total	1	45.00	1	20.00	1	25.00	1	20.00	1	25.000
		811937	35059.30	620985	32060.85	554914	18985.99	440201.00	15671.29	259948.00	18553.45

शंकर कपूर चौधरी

2.36
140